भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2504

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

†2504. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के औषधि निर्यात पर बढ़ती वैश्विक निगरानी को देखते हुए सरकार ने नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और नियामक श्रम शक्ति को मजबूत करने की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मौजूदा केंद्रीय और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कितनी है और कार्यरत लोगों की संख्या और रिक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में जांच किए गए औषधि नमूनों में बड़ी संख्या में निम्न गुणवत्ता के, नकली या मिलावट पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(घ) भारत को "विश्व की फार्मेसी" के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, राज्यों की औषधि नियामक प्रणाली (एसएसडीआरएस) को सुदृढ़ करने जैसी योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और निगरानी सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/ प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): देश में औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों की औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (एसएसडीआरएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू की है। इस योजना में मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन, नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और देश में मौजूदा राज्य औषधि नियंत्रण कार्यालयों का उन्नयन शामिल है।

एसएसडीआरएस योजना के तहत, केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 756 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई है और विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 19 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है तथा 28 मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया है।.

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या और रिक्त पदों को भरना संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। ऐसी सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। सीडीएससीओ प्रयोगशालाओं में कुल 276 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 178 भरे जा चुके हैं और 98 रिक्त हैं। प्रयोगशालाओं में पदों की भर्ती/पदों का भरना एक सतत प्रक्रिया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परीक्षण किए गए औषधि नमूनों की संख्या और गुणवत्ता मानक रहित/नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधि नमूनों की स्थिति निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	जांचे गए औषधि नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित न किए गए औषधि नमूनों की संख्या	मिलावटी/नकली घोषित किए गए औषधि के नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए अभियोगों की संख्या
2022-23	96,713	3,053	424	663
2023-24	1,06,150	2,988	282	604
2024-25	1,16,323	3,104	245	961

दिनांक **13.02.2026** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2504** के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या की सूची

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या***
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	अंडमान और निकोबार	0
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ़	1
7.	दिल्ली	1
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	3
11.	हरियाणा	2
12.	हिमाचल प्रदेश	2
13.	झारखंड	1
14.	जम्मू एवं कश्मीर	3
15.	केरल	7
16.	कर्नाटक	3
17.	लद्दाख	1
18.	महाराष्ट्र	5
19.	मध्य प्रदेश	4
20.	मणिपुर	1
21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	1
23.	नागालैंड	1
24.	ओडिशा	2
25.	पुदुचेरी	1
26.	पंजाब	1

27.	राजस्थान	4
28.	सिक्किम	1
29.	तमिलनाडु	2
30.	त्रिपुरा	1
31.	तेलंगाना	1
32.	उत्तर प्रदेश	7
33.	उत्तराखंड	1
34.	पश्चिम बंगाल	1

* ये प्रयोगशालाएँ संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और इनमें केवल वे प्रयोगशालाएँ शामिल हैं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय प्रायोजित योजना "राज्यों की औषधि नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करना" के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रयोगशालाओं की सूची:

क्रम. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या**
1	चंडीगढ़	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पश्चिम बंगाल	1
4.	तेलंगाना	2
5.	तमिलनाडु	1
6.	असम	1
7.	महाराष्ट्र	3
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	ओडिशा	1
10.	दिल्ली	1
11.	गुजरात	1
12.	कर्नाटक	1
